कार्यालय,आयुक्त,उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन,भोपाल-462004

क्रमांक/ 1902 /118/आउशि/ब.अनु./18 भोपाल,दिनांक 22/9/2018

प्रति,

प्राचार्य,
समस्त अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय
मध्यप्रदेश।

विषयः- अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय के सहायक प्राध्यापक/ कीडाअधिकारी/ ग्रंथपाल को पुनरीक्षित वेतनमान(वरिष्ठ/प्रवर) में स्थानन हेतु निर्धारित अर्हताओं की पूर्ति के संबंध में नीतिगत निर्णय के तहत जानकारी उपलब्ध कराने बाबत।

संदर्भः- अवर सचिव, म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक/826/787/38-3/2018 दिनांक 18.9.18 ।

----0----

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संलग्न संदर्भित पत्र का अवलोकन करें । पत्र में दिये गये निर्देशों एवं स्पष्ट की गई स्थिति के अनुक्रम में आवश्यक कार्यवाही करते हुये आपके महाविद्यालय के जिन सहायक प्राध्यापक/ग्रंथपाल /कीड़ाअधिकारी द्वारा दिनांक 17.6.87 दी गई छूट के पश्चात प्रावधान अनुसार निर्धारित समयावधि की तिथि 31.12.13 तक एवं उसके पश्चात भी आवश्यक अर्हताओं (ओरियेन्टेशन/ रिफ्रेशर कोर्स) की पूर्ति नहीं की गई है और उनको वरिष्ठ/प्रवर श्रेणी वेतनमान एवं चतुर्थ पे-बैण्ड पूर्व में प्रदान किया गया है उनकी जानकारी अभिलेखों की सत्यापित प्रति सहित निम्न प्रपत्र में उपलब्ध करावें:-

प्रपत्र

अर्हताओं की पूर्ति न होने के बावजूद वरिष्ठ/प्रवर श्रेणी वेतनमान एवं चतुर्थ पे-बैण्ड प्राप्त सहायक प्राध्यापक/ग्रंथपाल/कीडाअधिकारियो की जानकारी

स. क.	अधिकारी का नाम एवं पद व विषय	शासन द्वारा अनुमोदित नियुक्ति दिनांक	पीएचडी/ एमफिल	ओरियेन्टेशन कोर्स	रिफ्रेशर कोर्स	वरिष्ठ श्रेणी वेतन-मान में स्थानन की तिथि	प्रवर श्रेणी वेतन-मान में स्थानन की तिथि	चतुर्थ पे-बैण्ड में स्थानन की तिथि	रिमार्क
	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2. उक्त जानकारी में सेवानिवृत्त एवं दिवंगत सहायक प्राध्यापक/ग्रंथपाल/कीड़ाअधिकारियों को शामिल किया जावे और उनकी सेवानिवृत्ति अथवा मृत्यु दिनांक प्रपत्र के रिमार्क कॉलम में अंकित की जावे । उक्त जानकारी अग्रणी महाविद्यालय के माध्यम से 7 दिवस में आवश्यक रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार ।

20/9/18

(डॉ.सुषमा दुबे)
अपर संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश

निरंतर.....2..

पृ0कमांक/ 1904/118/आउशि/ब.अनु./18 भोपाल,दिनांक 22/9/2018

प्रतिलिपिः-

1. मान.मंत्री,उच्च शिक्ष,म.प्र.शासन के निज सहायक की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक,उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश ।
3. प्राचार्य, समस्त शासकीय अग्रणी महाविद्यालय,मध्यप्रदेश।

.....की ओर संदर्भित पत्र की प्रति संलग्न भेजते हुये लेख है कि कृपया प्रकरणों का परीक्षण कर उपरोक्तानुसार निर्धारित प्रपत्र में महाविद्यालयवार जानकारी अभिलेखों की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करते हुये अपने स्पष्ट अभिमत सहित निर्धारित समयावधि में उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

अपर संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश

मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय

क्रमांक/ 826 /787/38-3/2018 भोपाल,दिनांक 18-9-18

प्रति,

आयुक्त,
उच्च शिक्षा,म.प्र.,
भोपाल ।

विषयः- अशासकीय अनुदान प्राप्त महाविद्यालय के सहायक प्राध्यापक/ग्रंथपाल/क्रीड़ाअधिकारियों का पुनरीक्षित वेतनमान में वरिष्ठ/प्रवर श्रेणी वेतनमान एवं चतुर्थ पे-बैण्ड में स्थानन के संबंध में नीतिगत निर्णय/स्पष्टीकरण ।

-----0----

राज्य शासन को यह बात ध्यान में लाई गई है कि अशासकीय अनुदान महाविद्यालय के सहायक प्राध्यापक/ग्रंथपाल/क्रीड़ा अधिकारियों को पुनरीक्षित वेतनमान,1986 एवं पुनरीक्षित वेतनमान,1996 का लाभ देने हेतु तत्समय के यू.जी.सी.की गाइड लाईन के अंतर्गत वर्ष 1988 व 1999 में जारी आदेश/प्रावधानो के अनुसार वरिष्ठ एवं प्रवर श्रेणी वेतनमान प्रदान किया गया था।

2. वर्तमान में प्रवर श्रेणी वेतनमान में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले अधिकारियों को चतुर्थ पे-बैण्ड प्रदान करने के शासन के निर्देश/प्रावधानों के तहत परीक्षण करने पर वर्ष 1986 की योजना में जारी उक्त वरिष्ठ एवं प्रवर श्रेणी वेतनमान के आदेश कठिनाई उत्पन्न कर रहे है ।

3. उक्त वरिष्ठ/प्रवर श्रेणी वेतनमान के वर्ष 1986 एवं 1996 की योजना का लाभ देने वाले शासन के आदेशों/निर्देशों एवं उत्पन्न होने वाली दिक्कतों का परीक्षण किया गया । इसके अनुसार यह उल्लेख है कि यू.जी.सी. की गाइड लाईन के अनुसार वरिष्ठ एवं प्रवर श्रेणी वेतनमान हेतु निर्धारित अर्हताओं के अनुसार ओरियेन्टेशर/रिफ्रेशर कोर्स करना आवश्यक है और इसके संबंध में समय-समय पर शासन के आदेश/निर्देश भी जारी किये गये है । इसके अनुसार निर्धारित अर्हताओं अनुसार कोर्स पूर्ण करने हेतु दिनांक 31.12.2013 तक समय भी प्रदान किया गया है । अतः चतुर्थ पे-बैण्ड प्रदान करते समय कोई दिक्कत या संशय उत्पन्न न हो इसलिये समानता के सिद्धान्त के आधार पर यह स्पष्ट किया जाता है कि :-

(1) पुनरीक्षित वेतनमान,1986 एवं 1996 की योजना में जारी किये गये आदेशों की (चाहे उसमें किसी शर्त का उल्लेख हो अथवा नहीं), समस्त निर्धारित अर्हताओं की पूर्ति के पश्चात चतुर्थ पे-बैण्ड का लाभ दिया जावे ।

(2) जिन प्रकरणों में संबंधित अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि की तिथि 31.12.2013 तक निर्धारित अर्हताओं की पूर्ति नहीं की गई और उनको वरिष्ठ/प्रवर श्रेणी वेतनमान एवं चतुर्थ पे-बैण्ड पूर्व में प्रदान किया जा चुका है, ऐसे प्रकरणों में निर्देशों के अनुरूप नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

(3) यह भी स्पष्ट किया जाता है कि शासन के आदेश ज्ञाप कमांक/एफ.1/43/06/1/ अइतीस दिनांक 29.1.2008 में जारी निर्देश "प्रवर श्रेणी वेतनमान में स्थानन हेतु वरिष्ठ श्रेणी

निरंतर.....2..

वेतनमान के पश्चात समान रूप से 5 वर्ष की सेवा अनिवार्यतः में किसी प्रकार की छूट नहीं रहेगी।" समान रूप से समस्त शासकीय एवं अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय के शिक्षकों के लिये लागू है ।

4. अतः उक्त स्पष्ट की गई स्थिति के अनुसार ही वरिष्ठ/प्रवर श्रेणी वेतनमान एवं चतुर्थ पे-बैण्ड के स्थानन के प्रकरणों को निराकृत किया जावे ।

18-9-18

(वीरन सिंह भलावी)
अवर सचिव
उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश